

भाग-III

हरियाणा सरकार

सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 जून, 2014

संख्या का०आ० 75/ह०अ० 29/1974/घा० 65/2014.—हरियाणा नहर तथा जल विकास अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम 29) की धारा 65 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 129/ह०अ० 29/1974/घा० 65/2013, दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नहर तथा जल विकास नियम, 1976 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. वे नियम हरियाणा नहर तथा जल विकास (संशोधन) नियम, 2014, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा नहर तथा जल विकास नियम, 1976 में, "जल दरों की अनुसूची" में भाग-II में, "सिंचाई परियोजनाओं से भिन्न" शीर्ष के नीचे, खाना 1, 2, 3 और 4 के नीचे, क्रम संख्या 4 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टिया रखी जाएगी, अर्थात् :-

1	2	3	4
"5.	मत्स्य प्रसंस्करण, हिमीकरण तथा स्फुटन शाला (हैचरि) इकाईयों को छोड़कर मत्स्य तालाब	प्रति 2500 घनफुट	₹ 40.00"

डा० के० के० खंडेलवाल,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग।

*[Authorised English Translation]*

**HARYANA GOVERNMENT**  
**IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT**

**Notification**

The 27th June, 2014

**No. S. O. 75/H.A. 29/1974/S. 65/2014.**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of read with Sub-section (2) of Section 65 of the Haryana Canal and Drainage Act, 1974 (Act, 29 of 1974) and Haryana Government, Irrigation and Water Resources Department, Notification No. S. O. 129/H.A. 29/1974/S. 65/2013, dated the 23rd December, 2013 the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Canal Drainage Rules, 1976, namely:—

1. These rules may be called the Haryana Canal and Drainage (Amendment) Rules, 2014.

2. In the Haryana Canal and Drainage Rules, 1976 in the "Schedule of Water Rates", in Part II, under heading "Other than irrigation purposes" under column 1, 2, 3 and 4, after serial number 4 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:—

1	2	3	4
"5.	Fish ponds except fish processing, freezing and hatchery units.	Per 2500 Cubic feet	₹ 40.00"

DR. K. K. KHANDELWAL,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Irrigation and Water Resources Department.